भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न [illegible]: 2060
30 [illegible], 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न [illegible]
डॉक्टरों और स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवरों के साथ हिंसा

2060. [illegible]:
[illegible]:
श्री [illegible]:
[illegible]
[illegible]:
श्रीमती सुप्रिया सदानंद सुले:
श्री सुनील दत्तात्रेय तटकरे:
श्री [illegible]:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा

(क) क्या कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान देश में डॉक्टरों और स्वास्थ्य परिचर्या कार्मिकों के साथ शारीरिक हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो सामने आए ऐसे मामलों और उन पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने भी ऐसी घटनाओं के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन किया है और ऐसे मामलों पर अंकुश लगाने के लिए एक केंद्रीय कानून की मांग की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या सरकार का विचार सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के उपबंधों और अनिवार्य सुरक्षा ढांचे के साथ एक केंद्रीय सुरक्षा कानून बनाने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने सभी राज्य सरकारों को ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए विशिष्ट कानून बनाने का निर्देश दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और
(ङ) सरकार द्वारा डॉक्टरों और स्वास्थ्य परिचर्या कार्मिकों के साथ शारीरिक हिंसा को रोकने के लिए क्या अन्य कदम उठाए गए हैं?

[illegible]
स्वास्थ्य [illegible] मंत्री ([illegible])

(क) से (ङ). इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) ने महामारी के दौरान देश में चिकित्सकों और स्वास्थ्य परिचर्या पेशेवरों के विरुद्ध शारीरिक हिंसा के मुद्दे पर दिनांक 18 जून, 2021 को एक राष्ट्रव्यापी विरोध-प्रदर्शन का आयोजन किया।

कद्र सरकार ने राज्यों के साथ नियमित समीक्षाओं/ बातचीतों के दौरान बार- बार स्वास्थ्य कामिकों को सुरक्षा सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया है जो कोविड- 19 महामारी के विरूद्ध हमारी लड़ाई म अति मूल्यवान संसाधन एवं सहयोग है।
इसके अलाव, चिकित्सकों/ स्वास्थ्य पारचया पेशेवरों के विरूद्ध हिंसा से प्रभावी ढंग से निपटने और इसे रोकने के लिए दिनांक 22 अप्रैल, 2020 को महामारी रोग अधिनियम, 1897 म यथोचित संशोधन करते हुए एक अध्यादेश प्रख्यापित किया गया। इसके बाद, इस अध्यादेश म दिनांक 29 सितंबर, 2020 को महामारी रोग (संशोधन) अधिनियम, 2020 को अधिसूचित किया गया।

संशोधित अधिनियम म प्रावधान है कि स्वास्थ्य पारचया कामिकों के विरूद्ध हिंसा का कोई भी कृत्य अक्षम्य और गैर-जमानती अपराध होगा। हिंसा के ऐसे कृत्य करने या इसे भड़काने पर तीन महीने से पांच वर्षों तक के कारावास और साथ म 50,000/ रू. से लेकर 2,00,000/- रूपए तक का दण्ड लगाया जाएगा। गंभीर चोट पहुंचाने के मामले म छह महीने से लेकर सात वर्षों तक के कारावास और साथ म 1,00,000/ रूपए से 5,00,000/ रूपए तक का दण्ड दिया जाएगा।

इस संबंध म , स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 18 जून, 2021 के अपने पत्र के जरिए राज्यों से अनुरोध भी किया है कि वे विस्तृत समीक्षा शुरू करे और सुनिश्चित कर कि संशोधित महामारी रोग अधिनियम के कठोर कार्यान्वयन के अलावा स्वास्थ्य पारचया कामिकों की सुरक्षा के लिए अविलंब एवं आवश्यक कदम उठाए।

*****